शिक्षा विभाग

विज्ञप्ति

क्र. ४३१।इन्दौर। ६। ।।५६, इन्दौर, दि. ६ जौलाई १९५६

शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति क्र. २७०।९ एस।५६, दिनांक । जौलाई १९५६ जो भारतीय भूमि सम्पादन विधान क्र. । [१८९४ की धारा क्र. ४, के उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई है कि अनुक्रम में श्रीमन्त राजप्रमुख विधान की धारा ६ के अधीन यह । करते हैं कि उनको तुष्टि हो गई है कि परिशिष्ट में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक आशय के लिये आवश्यकता है और विधान की धारा क्र. ७ अधीन श्री कलेक्टर जिला गुना को उक्त भूमि की प्राप्ति के हेतु आज्ञा लेने के लिये निर्देश देते हैं.

प्रकरण अत्यावश्यक होने के कारण विधान की धारा क्र. १ की उप-धारा (१) के अधीन श्रीमन्त राजप्रमुख यह नि[illegible] प्रदान करते कि गुना जिले के कलेक्टर को (यद्यपि धारा क्र. ११ के अधीन कोई [illegible]-निर्णय न किया गया हो) धारा क्र. ९ की उप-धारा (१) उल्लेखित सूचना की समाप्ति पर यह अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक आशय के लिये परिशिष्ट में उल्लेखित किसी पड़त या कृषि-योग्य भूमि आधिपत्य में ले.

क्रमांक.	नाम ग्राम.	परगना व जिला.	भूमि का मालिक.	खसरा न	रकबा.
१	गुना ..	जिला गुना ..	रामजीलाल पुत्र गंगु[illegible], अग्रवाल, गुना, पक्का कुपक	२५	१७।।१
		बशरह सदर ..	.. ..	२५	५।।।
		"		२६	।।।
		"		[illegible]	३
		"		[illegible]	१
		"		[illegible]	२।।
		कपूरसिंह पुत्र दली[illegible]सिंह, सिख, छावनी गुना		[illegible]	।।।
		सरकारी रेव्हेन्यू	.. .. ..	[illegible]	४
		"		[illegible]	।१
		प्रजा कार्य विभाग	.. ..	[illegible]	

कैफियत.—गुना इण्टर कॉलेज के क्रीड़ा-स्थल हेतु

भूमि की विस्तृत जानकारी व नक्शा श्री कलेक्टर, जिला गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

आज्ञा से,

[illegible] हाय, उप-सचिव.

वन तथा जनजाति कल्याण विभाग

विज्ञप्ति

क्र. २८८१।१०-एफ।५४(५४), इन्दौर, दिनांक २९ जून १९५६.

मध्यभारत वन विधान, संवत् २००७, क्र. ७३, सन् १९५० की धारा ४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यभारत के वन तथा जनजाति कल्याण विभाग की विज्ञप्ति क्र. ११०१।१०-एफ।२०३ (५४), दिनांक १ मार्च सन् १९५५ को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मध्यभारत शासन इस विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित करता है कि इसके संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट भूमि को सुरक्षित वन बनाने का निर्णय लिया गया है और सब-डिवीजन के डिप्टी कलेक्टर को ऐसे पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, जो उक्त धारा में उल्लिखित कार्यों का पालन तथा यह और घोषित करता है कि ऊपर उल्लिखित पूर्व विज्ञप्ति के अधीन प्रारम्भ की गई कार्यवाही और आज्ञाएँ होने तक स्थगित अवस्था में रहेंगी.

आज्ञा से,

एस. सी. मिश्र, सेक्रेटरी

क्रमांक.	भूतपूर्व स्टेट अथवा जागीर का नाम.	प्रस्तावित सिविल फॉरेस्ट डिविजन का नाम.	तहसील.	फॉरेस्ट डिविजन.	फॉरेस्ट रेन्ज.	प्रस्तावित रकबा वन संरक्षण एकड़ों में.	प्रस्तावित [illegible] चतुःसीमा.	विवरण.
१	२	३	४	५	७	८	९	१०
१	जमींदारी वन ..	महुड़िया, [illegible]	आजापुर	आगर ..	गुना ..	आगर.	३२३०.००	मि. नं. १ से [illegible] तक कट लाइन [illegible] ग्राम [illegible] धापचा, [illegible]रावीया, मोगाल [illegible], [illegible]याखेड़ा, बिना-मगा, [illegible]खेड़ा आमला, महुड़ीया मोमखेड़ा व [illegible]खड़ी. [illegible] मोके पर १५ फीट चौड़ी साफ कटा कट तथा जगह-जगह पत्थर के मिनारे बनवा कर दिखा गया है.
२	"	[illegible]	"	"	"	१९६६.३०	मि. नं. १ से १०६ तक कट लाइन, सरोदा ग्राम व [illegible] आमसाखेड़ी, चाटपुरा, [illegible] [illegible] व मेंढकी. मि. नं. १०७ से १२६ तक फिमारकेशन लाइन, रि फा. [illegible] [illegible], सब-रेंज [illegible], [illegible] इन्दौर मि. नं. १२६ से २०९ व २८९ से १ तक कट लाइन [illegible] [illegible] देवी	— " —

क्रमांक.	भूतपूर्व स्टेट अथवा जागीर का नाम.	प्रस्तावित सिविल फारेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम.	तहसील.	फॉरेस्ट डिवीजन.	फॉरेस्ट रेन्ज.	प्रस्तावित रकबे का क्षेत्रफल एकड़ों में.	प्रस्तावित रकबे की सीमा.	विवरण.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३.	जमींदारी वन.	गांगुखेड़ी	राजापुर	आगर	गुना	आगर	६७८.४०	मि. नं. १ से ३४ व ३४ से १० तक कट लाइन, सरहदी ग्राम गांगुखेड़ी, लखमनखेड़ी, दोरखेड़ी, खिमाखेड़ी.	[illegible] फीट चौड़ी लाइन कटाकर तथा जगह-जगह पत्थर के किनारे बनाकर किया गया है.
४	"	अहिरवरिया.	"	"	"	"	६०७.४०	मि. नं. १ से ४० व ४० से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम अहिरवारिया, सालरी, माधी, पुरखेड़ा व अहिरवरिया.	"
५	"	सलारा	"	"	"	"	४८०.०	मि. नं. १ से २५ व ५५ से १ तक कटा लाइन, सरहदी ग्राम सलारा.	"
६	"	पन्नाली	"	सुसनेर	"	"	१०६३.०	मि. नं. १ से २७ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम पन्नाली व खेड़ी. मि. नं. २७ से २८ तक काली सिंध नदी. मि. नं. २८ से ४४ व ४४ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम पन्नाली व पन्नाला.	"
७	"	गोठड़ा	"	"	"	"	११७५.८०	मि. नं. १ से २४ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम गोठड़ा. मि. नं. २४ से २५ तक काली सिंध नदी. मि. नं. २५ से ४२ व ४२ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम गोठड़ा.	"
८	"	खनोटा	"	"	"	"	१३५३.२०	मि. नं. १ से ६५ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम सेमलखेड़ी, बावड़ीखेड़ा, खनोटा व लोलकी. मि. नं. ६५ से १ तक सुसनेर-आगर रोड.	"
९	"	शामगढ़	"	सुसनेर व आगर.	"	"	२०६३.६०	मि. नं. १ से ८२ व ८२ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम लटूरा, खनोटा, [illegible], सारंगखेड़ी, शामगढ़, करमपुरी, [illegible], उमरिया व नाहरखेड़ा.	"
१०	"	रिछड़या	"	सुसनेर	"	"	८८०.०	मि. नं. १ से ४८ व ४८ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम रिछड़या, [illegible] व [illegible].	"
११	"	सोयतखुर्द	"	"	"	"	१९८१.८०	मि. नं. १ से १३० व १३० से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम [illegible], [illegible]खेड़ी, [illegible], दिवानखेड़ी, [illegible], कंठालिया [illegible], [illegible], कंवरखेड़ी, [illegible]खेड़ी, सोयतखुर्द व [illegible].	"
१२	भूतपूर्व स्टेट नरसिंहगढ़.	राजाधार मांडली.	राजगढ़	नरसिंहगढ़	गुना	राजगढ़	१९६५.२	मि. नं. १ से ७४ व ७४ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम [illegible]शंकरपुरा, [illegible], उमराखिर, मिठनपुर, हुदापुरा [illegible]	"
१३	भूतपूर्व स्टेट खिलचीपुर.	डोडरा	"	खिलचीपुर	"	"	८७१९.०	[illegible] से २७ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम पदमपुरा, [illegible]लारपुरा, सेमला, हिम्मतपुरा, मालीपुरा, [illegible]खेड़ी व जालममुया. मि. नं. ३७ से ५३ तक राजस्थान-मध्यभारत सीमा. मि. नं. ५८ से १३१४ व १३१७ [illegible]	"

क्र.	भूतपूर्व स्टेट अथवा जागीर का नाम.	प्रस्तावित सिविल फारेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम.	फारेस्ट डिवीजन.	फारेस्ट रेन्ज.	प्रस्तावित रकबे का क्षेत्रफल एकड़ों में.	प्रस्तावित रकबे की चतुःसीमा.	विवरण.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
						ग्राम आरांतपुरा, सालरे, हरीपुरा, गडगच्छ, मोहनपुरा, बरका, बेरखी, अरनियामेल्यूरा, अनावदा, गोरियाखेड़ा, खोकरीया, बांकपुरा, पारलिया, नयापुरा, शिवपुरा, पटारी, पटारिया, रघुनाथपुरा, हरीपुरा, हांसलबे व डोबछा.		
१४	राजगढ़ स्टेट ..	छगोड़ा	राजगढ़	राजगढ़	गुना	राजगढ़	५४२६ ६१	नि. नं. १ से १०९ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम बांकना, देहरा, दलेलपुरा, माचलपुर, मेनपुरा, मेनपुरी, जीरापुर, कंवरपुरा, करनपुरा व पिपलया. मि. नं. १०९ से ११० तक नेवज नदी. मि. नं. ११० से १५७ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम मुजखेड़ा, भवरपुरा, बालापुरा मुजखेड़ी, गिरथीपुरा, बलवहा, दुरपुरा, बछगोड़ा. मि. नं. १५७ से १५८ तक नेवज नदी. मि. नं. १५८ से १७८ तक कट-लाइन; सरहदी ग्राम छान, मुरारखेड़ा, व बपुरा. मि. नं. १७८ से १९२ तक राजस्थान-मध्यभारत सीमा. मि. नं. १९२ से २७३ व २७३ से १ तक कट लाइन, सरहदी ग्राम कालाखेड़ी, तलाबला, मयोनिया, बांक्यापुरा, पिपलोदी, अलवापुरा, उदयपुरा, गनेशपुरा व हिमांतिया.	डिमार्केशन मार्क के पर १५ फीट चौड़ी लाइन काटकर तथा जगह-जगह पत्थर के मिनारे बनवाकर किया गया है.

योग .. ३१०६९.२१

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

क्र. ६५४०१११-६७४५६, ग्वालियर, दिनांक २८ जून १९५६

स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति क्र. ८५९१।११, ग्वालियर, दिनांक २२ अक्टूबर १९५४, जो शासन गजट, दिनांक ४ नवम्बर १९५४ में प्रकाशित हुई है, की चौथीलाइन पंक्ति में शब्द "डायरेक्टर ऑफ हैल्थ सर्विसेस" के बाद और "की अनुमति से देय होगी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तस्थापित किये जायें:—

"अथवा स्वास्थ्य । [illegible] के ऐसे अधिकारी को जो अधिकृत [illegible] डायरेक्टर ऑफ [illegible] के पद से कम न हो और जिसको डायरेक्टर ऑफ हैल्थ सर्विसेस द्वारा यह शक्ति समर्पित की गई हो".

क्र. २३१७।११-१३०९ (५५) इन्दौर, दिनांक २९ जून १९५६

भारतीय भूमि सम्पादन विधान, सन् १८९४ (सं. १ सन् १८९४) की धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन श्रीमान राजप्रमुख [illegible] की जानकारी के लिये यह विज्ञापित करते हैं कि परिशिष्ट में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक आशय अर्थात चिकित्सालय भवन निर्माण के लिये आवश्यकता [illegible] यह मत होने के कारण कि उक्त विधान की धारा १७ की उप-धारा (१) के आदेश भूमि से लागू [illegible] श्रीमान, राजप्रमुख उक्त धारा की उप-धारा (४) के अधीन यह निर्देश करते हैं कि विधान की धारा ५-अ के आदेश लागू नहीं होंगे.

भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकेगा व अन्य जानकारी [illegible] से प्राप्त हो सकेगी.

परिशिष्ट

जिला.	परगना.	ग्राम या नगर.	अनुमानित क्षेत्रफल.	किस आशय [illegible] में आवश्यकता है.
रतलाम	रतलाम	रतलाम नगर	१५,८१८ वर्ग फीट	चिकित्सालय भवन निर्माण के लिये.

टिप्पणी.—पंचान सम्बन्धी आरक्षण रामगढ़ [illegible], रतलाम की भूमि की आवश्यकता है. [illegible] भूमि की चतुःसीमा निम्नानुसार है:—

पूर्व—त्रिपोलिया गेट रोड.

पश्चिम—गणपति मन्दिर व रामगढ़ रोड.

उत्तर—मोहम्मद इमामजी बिल्डिंग व उत्तम नारायण का मकान.